<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या– 1882/2023

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....अपीलकर्त्तागण

बनाम

रचना हिल्स व अन्य .....प्रतिवादीगण

के साथ

सिविल अपील संख्याः 1883/2023

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....अपीलकर्त्तागण

बनाम

रचना हिल्स व अन्य .....प्रतिवादीगण

के साथ

सिविल अपील संख्याः 1884/2023

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य .....अपीलकर्त्तागण

बनाम

अंजली व एक अन्य .....प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट शैक्षणिक संस्थान, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921[1] द्वारा एवं उसके तहत बनाये गये नियमों और विनियमों द्वारा शासित हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया अधिनियम और विनियम की धारा 16 तथा 17 में प्रदान की गयी है। जबकि चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया विनियम 17[2] में निर्धारित की गयी है, अधिनियम की धारा 16– एफएफ की उपधारा (3) में यह आदेश दिया गया है कि शिक्षक के रूप में चयनित किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक नियुक्ति के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती[3]।

2. वर्तमान मामले में दो अल्पसंख्यक संस्थानों ने शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की और उनके प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए डीआईओएस को अग्रेसित किया। आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने से पहले सरकार ने चयन के लिए एक नयी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए विनियम 17 में संशोधन किया। डीआईओएस ने नयी प्रक्रिया के अनुपालन के प्रस्ताव को वापस कर दिया। संस्थानों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके प्रबन्धन को नये नियमों का पालन करने की आवश्यकता वाले डीआईओएस के फैसले को चुनौती दी।

3. हमारे समक्ष आक्षेपित आदेशों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार जब प्रबन्धन डीआईओएस के अनुमोदन के लिए नामों को अग्रेसित करता है तो चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और प्रस्तावित उम्मीदवार को नियुक्त होने का

1 एतदमिनपश्चात अधिनियम

2 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अन्तर्गत विनियम, अध्याय द्वितीय, विनियम 17, एतदमिनपश्चात विनियम 17

3 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921, धारा 16 चच (3) सपठित धारा 2 (खख), एतदमिनपश्चात डीआईओएस।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है। उच्च न्यायालय ने एक सिद्धान्त का उल्लेख भी किया और इस पर भरोसा किया कि नियमों में संशोधन से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उन नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जो ऐसी रिक्तियों के समय अस्तित्व में थे। उत्तर प्रदेश राज्य हमारे समक्ष अपील में है। उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन करते हुए प्रतिवादी ने हमारे सामने यह तर्क भी दिया कि यदि डीआईओएस प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नियुक्ति की पुष्टि नहीं करता है तो विनियम 'डीम्ड नियुक्ति' पर विचार करेंगे। हमने तीनों प्रश्नों के जवाब दे दिये हैं।

4. राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए हमने माना है कि डीआईओएस की अनिवार्य स्वीकृति के पश्चात् ही चयन प्रक्रिया समाप्त होती है। अधीनस्थ कानून के साथ–साथ वैधानिक शासन की जाँच के बाद हमने पाया कि डीम्ड नियुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व रिक्तियों के लिए पुराने नियमों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जिस सिद्धान्त पर भरोसा किया गया है ना तो वह वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू होता है और ना ही अच्छे कानून पर।

5. अब हम पक्षकारों के निवेदन दर्ज करने से पहले आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे, कारणों व अपने निर्णय का उल्लेख करेंगे।

6. वर्ष 2023 की सिविल अपील संख्या 1882 एवं 1883 के तथ्य में राखा बालिका इण्टर कॉलेज, फतेहगढ़, यू0 पी0 जिसे इसके बाद प्रतिवादी कॉलेज के रूप में सन्दर्भित किया गया है, एक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है, जो इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। दिनांक 04.10.2017 को कॉलेज ने सहायक अध्यापकों के तीन पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। कॉलेज द्वारा गठित चयन समिति ने आवेदनों पर कार्यवाही की और अपनी कार्यवाही

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 3 तक के नामों को सूचीबद्ध किया और कॉलेज प्रबन्धन को अनुशंसित किया।

7. प्रबन्धन ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अपने पत्र दिनांक 10.02.2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए डीआईओएस, फर्रूखाबाद की अनुमोदन माँगा। डीआईओएस ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2018 द्वारा प्रबन्धन को सूचित किया कि अनुमोदन के लिए प्रस्ताव अधूरा है और इसलिए सुझाव दिया गया है कि अनुमोदन प्रदान करने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाय।

8. इससे पहले कि प्रतिवादी कॉलेज आवश्यक जानकारी प्रेषित कर पाता, नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विनियमों में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधान 12.03.2018 से प्रभावी हो गये। परिणामस्वरूप डीआईओएस ने अपने पत्र दिनांक 14.03.2018 द्वारा आवेदनों को संशोधित विनियमों के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी कॉलेज को वापस कर दिया।

9. प्रतिवादी उम्मीदवारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके डीआईओएस के उपर्युक्त निर्णय को चुनौती दी[4]। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 07.05.2018 के एक आदेश द्वारा निर्णय को रद्द कर दिया और डीआईओएस को निर्देश दिया कि निर्णय पर पुनर्विचार इस आधार पर करे कि संशोधित विनियम लागू नहीं होंगे क्योंकि चयन प्रक्रिया अन्तिम रूप ले चुकी है।

10. एकल न्यायाधीश के निर्देशों के उपरान्त डीआईओएस ने मामले पर पुनर्विचार किया और 11.10.2018 को एक आदेश्या पारित किया जिसमें कहा

4 रिट अपील संख्या 11283/2018

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गया कि चयन प्रक्रिया अधिनियम की धारा 16–एफएफ के तहत अनुमोदन प्रदान करने में समाप्त नहीं हुई और इस प्रकार चयन अन्तिम नहीं है।

डी.आई.ओ.एस. ने देखा कि प्रत्यर्थियों की नियुक्ति को मंजूरी देने से पूर्व, चयन के लिए नई प्रक्रिया के अनुपालन की आवश्यकता को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया। डी.आई.ओ.एस. के इस फैसले को प्रत्यर्थी– उम्मीदवारों ने एक रिट याचिका द्वारा पुनः चुनौती दी[5]। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने कहा कि डी.आई.ओ.एस. का आदेश दिनांक 11.10.2018 न्यायालय के पहले के निर्देश दिनांक 07.05.2018 का उल्लंघन था और इसलिए डी.आई.ओ.एस. फर्रूखाबाद की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया गया। अगले दिन, 16.01.2019 को, एकल न्यायमूर्ति ने डीआईओएस को न्यायालय के मूल निर्देश दिनांक 07.05.2018 का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

11. उत्तर प्रदेश राज्य ने एकल न्यायमूर्ति के मूल आदेश दिनांक 07.05.2018[6] के विरुद्ध रिट अपील दायर की। यहां आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने देरी के आधार पर और साथ ही विवाद के गुण– दोष के आधार पर रिट अपील को खारिज कर दिया। गुण– दोष के आधार पर, खंडपीठ ने कहा कि रिक्तियों के संबंध में चयन प्रक्रिया, जो विनियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थी, असंशोधित विनियमों द्वारा शासित होगी। तदनुसार, यह अवेक्षा किया गया कि विनियम 17 के संशोधन का डी.आई.ओ.एस. द्वारा अनुमोदन के अनुरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिनांक 16.01.2019 के इस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम सिविल अपील संख्या 1882 सन् 2023 दायर की। संबंधित सिविल अपील संख्या 1883 सन् 2023 एकल न्यायाधीश के बाद के आदेश दिनांक 16.01.2019 से उत्पन्न होती है जिसमें डी.आई.ओ.एस. को आदेश

5 रिट अपील संख्या 27341/2018

6 विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 42/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 07.05.2018[7] के तहत मूल निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

12. **सिविल अपील संख्या 1884 सन् 2023 में तथ्य:** मैसर्स फर्रुखाबाद सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज एक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है। इस कॉलेज ने 04.12.2017 को सहायक शिक्षक के पद पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। इसी तरह घटनाओं के क्रम में, इससे पहले कि डी.आई.ओ.एस. अनुमोदन देने पर विचार कर पाता, संशोधित विनियम 12.03.2018 को लागू हो गए। परिणामस्वरूप, डी.आई.ओ.एस. ने दिनांक 19.03.2018 के एक आदेश द्वारा कॉलेज को संशोधित विनियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया आयोजित करने के बाद प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए फिर से भेजने का निर्देश दिया। अनुशंसित उम्मीदवारों ने एक रिट याचिका[8] दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने दिनांक 01.11.2018 को अनुमति दी। उक्त आदेश के खिलाफ राज्य की रिट अपील[9] को खण्डपीठ ने 18.01.2019 को केवल पहले मामले श्रीमती रचना हिल्स[10] के निर्णय का पालन करते हुए खारिज कर दिया था। खण्डपीठ के इस आदेश के विरूद्ध राज्य द्वारा तृतीय सिविल अपील संख्या 1884 सन् 2023 दायर की गई है।

13. **पक्षकारों के तर्क:** अपर सॉलिसिटर जनरल, श्री विक्रमजीत बनर्जी और श्री वीके शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उनके सहायक अधिवक्ता श्री हरीश पांडे ए.ओ.आर. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क किया कि एकल न्यायमूर्ति के साथ– साथ खंडपीठ ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि चयन

7 रिट अपील संख्या 27341/2018

8 रिट अपील संख्या 1969/2018

9 विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 38/2019

10 विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 42/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रक्रिया संशोधन दिनांक 12.03.2018 के लागू होने से पहले पूरी हो गई थी। चूंकि डी.आई.ओ.एस. का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था, प्रतिवादियों के पक्ष में नियुक्ति का कोई निहित अधिकार सृजित नहीं किया गया था। नतीजतन, उन्होंने दलील पेश किया कि चयन प्रक्रिया को नए संशोधित विनियमों द्वारा शासित होना होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि संशोधित विनियम दिनांक 12.03.2018 की वैधता को उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, डी.आई.ओ.एस. के आदेश दिनांक 14.03.2018, 11.10.2018 और 19.03.2018 क़ानून के साथ– साथ विनियमों के पूर्ण अनुपालन में हैं।

14. दूसरी ओर, सिविल अपील संख्या 1882 और 1883 सन् 2023 में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं श्री शैन्की अग्रवाल, श्री विकास सिंह, सुश्री जयकृति एस जडेजा, श्री श्रेयांस रानीवाला, और सिविल अपील संख्या 1884 सन् 2023 में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल, सुश्री सृष्टि गुप्ता और श्री अभिषेक शर्मा ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया को उस समय पूरा माना जाना चाहिए जब प्रबंधन समिति ने डी.आई.ओ.एस. को अनुमोदन के लिए नामों का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 16–एफएफ की उप–धारा (4) के तहत, डी.आई.ओ.एस. के पास अनुमोदन को रोकने का अधिकार नहीं है, सिवाय उन मामलों में जहां चयनित उम्मीदवारों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है। वे विनियम 18 का अवलम्ब देते हैं कि अधिकारी चयन समिति की सिफारिश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुमोदन देने के लिए बाध्य हैं, जिसमें विफल होने पर नियुक्ति मान ली जाएगी। उन्होंने यह तर्क देने के लिए इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का अवलम्ब लिया कि जिस तिथि को रिक्ति उत्पन्न हुई थी, उस तिथि पर मौजूदा नियम चयन प्रक्रिया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को नियंत्रित करेंगे। इसलिए, वे निवेदन करेंगे कि विनियमों में संशोधन वर्तमान प्रत्यर्थियों की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नही डाल सकता है।

15. विवाद्यः निम्नलिखित विवाद विचार हेतु उत्पन्न होते हैः–

(i) क्या चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, और उम्मीदवारों ने विनियमों के संशोधन से पहले नियुक्त होने का निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है ?

(ii) क्या अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाता है, यदि 15 दिनों की अवधि के भीतर डीआईओएस द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो नियुक्ति हुई मान ली जाती है?

(iii) क्या शिक्षकों के पदों को रिक्तियों के समय मौजूद नियमों और विनियमों के अनुसार भरा जा सकता है न कि संशोधित विनियमों के अनुसार?

16. अधिनियम की धारा 16– ए[11] के तहत मान्यता प्राप्त प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रत्यर्थी कॉलेजों जैसे शैक्षिक संस्थानों का संचालन किया जाता है। प्रबंधन को अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षकों के साथ– साथ संस्थान के प्रमुख[12] की नियुक्ति करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थानों के मामले में, उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करने एवं उनकी नियुक्तियों के लिए प्रबंधन को अनुशंसा करने के लिए, प्रबंधन एक पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन करता है[13]। चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत, प्रबंधन अनुमोदन हेतु नामों का प्रस्ताव डी.आई.ओ.एस. को करता है।

11 एतदमिनपश्चात प्रबंधन

12 उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921, धारा 16-ई

13 उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921, धारा 16-ई सपठित उपबन्ध धारा 16-चच(1)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

17. 12.03.2018 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्याय II के विनियम, सम्मिलित विनियम 17, में संशोधन अधिसूचित किया, जो अब अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा निर्धारित करता है।

विवाद्य सं० 1: क्या चयन प्रक्रिया सम्पन्न हो गई, और उम्मीदवारों ने विनियमों में संशोधन से पूर्व नियुक्त होने का निहित अधिकार प्राप्त कर लिया?

18. प्रत्यर्थियों की दलील कि उन उम्मीदवारों , जिनके नाम प्रबंधन द्वारा डी.आई.ओए.स से अनुमोदन के लिए अनुशंसित है, को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त है, उसपर विचार करने के लिए धारा 16–चच का अवलोकन करना आवश्यक है:

16–चच– अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

> *"16 चच– (1) धारा 16–ङ की उपधारा (4) में और 16–च में किसी बात के होते हुये भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति मे प्रबन्ध समिति द्वारा नाम–निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुये) पांच सदस्य होंगे:*
>
> *प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक–*
>
> *(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका मे से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा ;*
>
> *(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले मे सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा ।*

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय ।

(3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नही किया जायगा, जब तक --

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो ; और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमादे न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो ।

(5) जहाँ सम्भागीय शिक्षा उप-निदशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।"

(प्रभाव वर्धित)

19. अधिनियम की धारा 16-चच की उप-धारा (3) प्रावधान करती है कि प्रबंधन द्वारा शिक्षक के रूप में चयनित और प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति को तब

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि डी .आई.ओ.एस द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती है। यदि उप–धारा (3) में प्रयुक्त वाक्यांश *'कोई भी व्यक्ति', 'नियुक्त नहीं किया जाएगा'*, और '*जब तक*' को उनका सामान्य अर्थ प्रदान किया जाए, जो विधान् के निर्माण के भाषाई सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि नियुक्ति डी .आई.ओ.एस के अनिवार्य अनुमोदन के अधीन है। डी.आई.ओ.एस की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, और इस प्रकार, नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार का कोई अधिकार नहीं है या बहुत कम निहित अधिकार है।

20. इस न्यायालय के पास ***राज कुमारी सेसिल (श्रीमती) बनाम प्रबंध समिति लक्ष्मी नारायण भगवती देवी विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल***[14] में डी.आई.ओ.एस द्वारा अनुमोदन के प्रभाव की जांच करने का अवसर था, यह मानते हुए कि वहां याचिकाकर्ता की नियुक्ति अपोषणीय और अधूरी थी क्योंकि नियुक्ति के लिए वैधानिक पूर्व–शर्त अर्थात डीआईओएस से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, यह देखा गया:

> *"4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने की योग्यता नहीं थी। यह भी विवादित नहीं है कि नियुक्ति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। यह सही है कि सक्षम प्राधिकारी के पास योग्यता में छूट देने की शक्ति है, लेकिन पुनः यह विवादित नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता में छूट नहीं दी।"*

14 (1998)2 एस सी सी 461.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

13. प्रतिवादिनी के विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर अपीलकर्ता प्रधानाध्यापिका नहीं रही क्योंकि पद का उन्नयन किया गया था। वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त होने की योग्यता धारित नहीं करती थी। उसकी योग्यता में छूट नहीं दी गई थी। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी ने प्रधानाचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए मंजूरी नहीं दी, जो विधि के तहत एक पूर्व–शर्त है। चूँकि नियुक्ति अपना आप में ही स्वीकृत नहीं थी, इसलिए स्कूल की प्रबंध समिति के लिए प्रधानाध्यापक के रूप में उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(प्रभाव वर्धित)

21. अधिनियम की धारा 16–चच (3) के तहत स्पष्ट वैधानिक आदेश के दृष्टिगत, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी सं० 1 से 3 ने नियुक्त होने का निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है।

विवाद्य सं० 2: यदि 15 दिनों की अवधि के भीतर डी.आई.ओ.एस द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो क्या अधिनियम, सपठित उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, 'डीम्ड नियुक्ति' पर विचार करता है?

22. प्रत्यर्थियों ने तर्क देने के लिए विनियम 18[15] का अवलंब लिया है कि यदि डी.आई.ओ.एस प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्ताव के 15 दिनों के भीतर अपना

15 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अन्तर्गत विनियम, अध्याय द्वितीय, विनियम 18, एतदमिनपश्चात विनियम 18

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अनुमोदन देने में विफल रहता है, तो प्रस्तावित उम्मीदवारों को नियुक्त माना जाएगा। विनियम 18, निम्नानुसार है:

> *"(1) धारा 16–च की उप–धारा (1) या (2) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर एवं धारा 16–चच में निर्दिष्ट संस्था के मामले में, उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुमोदन से, प्रबंधक, प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के तहत प्राधिकरण पर, परिशिष्ट 'ख' में दिए गए फॉर्म में उम्मीदवार को पंजीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवार को ऐसा आदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। ऐसा न करने पर, उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द की जा सकती है।"*
>
> (2) पदोन्नति और तदर्थ नियुक्तियों के मामले में भी यथासंभव खंड (1) में निर्दिष्ट प्रपत्र के सदृश प्रारूप में पदोन्नति या नियुक्ति का एक औपचारिक आदेश प्रबंधक के हस्ताक्षर से संबंधित व्यक्ति को जारी किया जाएगा।
>
> (3) खण्ड (1) एवं (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जायेगी तथा संस्थान के प्रमुख की नियुक्ति की दशा में उस आदेश की एक प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को भी भेजी जायेगी।"
>
> 23. हमने अवलोकन किया है कि अधिनियम की धारा 16–ङ के तहत नियुक्तियां की जानी हैं। अधिनियम की धारा 16–च चयन समितियों के गठन और अनुशंसा के लिए प्रावधान करती है और इसमें धारा 16–चच विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों से संबंधित है। विनियम 18(1) उस समयावधि के लिए प्रावधान करता है जिसके भीतर चयनित उम्मीदवार को प्रबंधक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। जिसके अनुसार, जहां अधिनियम की धारा 16–च की उप–धारा (1) या (2) के तहत गठित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है, वहां चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। जबकि, अधिनियम की धारा 16–चच में निर्दिष्ट संस्थान, अर्थात अल्पसंख्यक संस्थान, जैसा कि वर्तमान मामले में है, के मामले में इसे उसमें निर्दिष्ट प्राधिकरण के अनुमोदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना है। न तो अधिनियम की धारा 16–चच और न ही विनियम 18 उस अवधि का प्रावधान करता है, जिसके भीतर अनुमोदन प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब की स्थिति में दोनों में से कोई भी प्रावधान डीम्ड नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए, जब तक कि धारा 16–चच(3) के तहत अपेक्षित अनुमोदन नहीं प्रदान किया जाता है, तब तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है।

24. जब शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान, अर्थात धारा 16–चच(3), डीआईओएस द्वारा अनुमोदन को स्वयं अनिवार्य बनाता है, तो किसी भी दशा में, अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम में डीम्ड नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ विधान एक सांविधिक प्रावधान के निदेश से बढ़कर नहीं हो सकता है।

25. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 16–चच की उप–धारा (4) को धारा 16– चच (2) के साथ पढ़ा जाना है, जो प्रावधान करती है कि ''उप–धारा (1) में संदर्भित चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि निर्धारित किया जाये।'' केवल उन मामलों में, जहां विनियमों में निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तब

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तक अस्वीकृति नहीं हो सकती है जब तक कि वहां अपेक्षित पात्रता एवं योग्यता की कमी न हो। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 16–चच(4) के तहत डीम्ड नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

26. यदि सांविधिक प्रावधानों के साथ पठित प्रासंगिक विनियमों में डीम्ड नियुक्ति के लिए प्रावधान करना होता, तो डीआईओएस के अस्वीकृति के आदेश के विरूद्ध कोई और उपाय नहीं होता। धारा 16–चच की उप–धारा (5) डीआईओएस द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं करने की स्थिति में कॉलेज प्रबंधन को उपचार प्रदान करती है। इसके अनुसार, प्रबंधन अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को अभ्यावेदन दे सकता है।

27. अधिनियम की धारा 16–चच, सपठित विनियम 18, के तहत प्राप्त कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादियों के इन तर्कों कि यह विनियम 18 के तहत 'डीम्ड नियुक्ति' का चयन है, को अस्वीकृत करते हैं।

विवाद्य सं0 3: क्या शिक्षकों के पदों को उन नियमों और विनियमों के अनुसार भरा जा सकता है जो रिक्तियां होने के समय मौजूद थे तथा संशोधित विनियमों के अनुसार नहीं?

28. उच्च न्यायालय की खंडपीठ के साथ–साथ एकल न्यायाधीश ने चयनित उम्मीदवारों के इस निवेदन को स्वीकार किया कि शिक्षकों के पद की रिक्तियां केवल उन नियमों और विनियमों के अनुसार भरी जा सकती हैं जो

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रिक्तियां होने के सयम पर संचालन में थीं एवं न कि उसके बाद संशोधित किए गए नियमों के अनुसार।

29. हम पूर्व में ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि डीआईओएस का अनुमोदन अनिवार्य है और यह अधिनियम ऐसी मंजूरी के बिना शिक्षक की नियुक्ति को रोकता है। हमने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि डीआईओएस 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता है तो शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कानूनी व्यवस्था डीम्ड नियुक्ति की किसी भी अवधारणा पर विचार नहीं करती है। इन परिस्थितियों में, इस सिद्धांत का संदर्भ और अवलंब लेना अनुचित है कि रिक्तियां होने के समय विद्यमान नियम, नियुक्तियों को नियंत्रित करेंगे।

30. किसी भी दशा में, यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों अर्थात – विचारण की तिथि को प्रभावी नियम, के आलोक में विचार किये जाने का अधिकार है। इस सिद्धांत की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा दीपक अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में निम्नानुसार की गयी है:

''26. यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों अर्थात – विचार करने की तिथि को प्रभावी नियम, के आलोक में विचार किये जाने का अधिकार है। सार्वभौमिक या पूर्ण अनुप्रयोग वाला ऐसा कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि पर मौजूद कानून द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना है। पुराने नियमों के तहत पुरानी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पदोन्नति के लिए विचारण का अधिकार प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के साथ जुड़ी हुई है। पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार, पात्र उम्मीदवारों पर विचार करने की तारीख से प्राप्त होता है। निःसंदेह, जब तक कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लागू नियम में, जैसा कि वाई.वी.रंगैया वाद में ऐसे किसी विशेष समय–सीमा को अभिनिर्धारित नहीं किया गया हो जिसके भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है। वर्तमान मामले में, पदोन्नति पर विचार संशोधन के लागू होने के बाद हुआ। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को किसी उपार्जित या निहित अधिकार को संशोधन द्वारा छीन लिया गया है।

31. एक अनुवर्ती मामले राजस्थान राज्य खेल परिषद व अन्य बनाम उमा दधीच व अन्य में उपरोक्त संदर्भित सिद्धांत की पुष्टि करते हुए (जिसमें हम में से एक सदस्य, तत्कालीन न्यायमूति डॉ. डी.वाई. चन्द्रचूड़ थे)। इस न्यायालय नें नोट किया:

5. अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किये गये निवेदन में गुण है कि प्रत्यर्थी के पास पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं था, बल्कि पदोन्नति हेतु उठाये गये मामले के दिनांक को विद्यमान नियमों के अनुसार केवल विचार किये जाने का अधिकार था। इस सिद्धांत को इस न्यायालय के कई निर्णयों में दोहराया चुका है। (एचएस ग्रेवाल बनाम भारत संघ, दीपक अग्रवाल बनाम यूपी राज्य, त्रिपुरा राज्य बनाम निखिल रंजन चक्रवर्ती और भारत संघ बनाम कृष्ण कुमार देखें।)

(जोर दिया गया)

32. हाल के एक फैसले, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार व अन्य, में एक ही विषय पर कई निर्णयों की समीक्षा करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए:

''70 उन पंद्रह मामलों, जिनमें प्रतिष्ठित रंगैया सम्मिलित है, की समीक्षा में यह निरूपित हुआ कि यह न्यायालय रंगैया में प्रतिपादित किए गए व्यापक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रस्ताव के अपवादों को लगातार तराश रहा है। इन निर्णयों के निष्कर्ष, जिनका रंगैया द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर सीधा असर पड़ता है, निम्नानुसार हैं:

1. सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को आवश्यक रूप से उस विधि के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उनके जारी होने की तिथि पर मौजूद थी, रंगैया के मामले को उसमें शामिल नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

2. यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों, अर्थात – विचार करने की तिथि को प्रभावी नियम, के आलोक में विचार किये जाने का अधिकार है। पदोन्नति हेतु विचार करने का अधिकार, पात्र उम्मीदवारों पर विचार करने की तारीख से प्राप्त होता है।

3. नियमों में संशोधन से पूर्व उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को न भरने के लिए सरकार एक सचेत नीतिगत निर्णय लेने की हकदार है। सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के मद्देनजर, निरस्त नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का कर्मचारी कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है। इकाई के कुशल कार्य के लिए संवर्ग के पुनर्गठन की स्थिति में सरकार पुराने नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि सरकार के नीतिगत निर्णय निष्पक्ष और उचित होने चाहिए और अनुच्छेद 14 की कसौटी पर न्यायोचित होना चाहिए।

4. रंगैया मामले के सिद्धांत को मात्र इसलिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पद सृजित किए गए थे, और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए पदों को तुरंत भरना अनिवार्य नहीं है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. जब संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियुक्तियों पर विचार करने के लिए राज्य पर कोई सांविधिक कर्तव्य नहीं है, तो राज्य को मामलों पर विचार करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

33. कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, हमें प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदन को अस्वीकृत करने में कोई संकोच नहीं है, कि अध्याय 2 के विनियम 17 के संशोधन से पूर्व मौजूद रिक्तियों को असंशोधित नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।

34. उपरोक्त कारणों से, सिविल अपील सं० 1882/2023, सिविल अपील सं० 1883/2023 और सिविल अपील सं० 1884/2023 को स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय रद्द किए जाते हैं: विशेष अपील डिफेक्टिव सं० 42/2019 में निर्णय दिनांक 16.01.2019; रिट अपील संख्या 27341/2018 में निर्णय दिनांक 16.01.2019; विशेष अपील डिफेक्टिव सं० 38/2019 में निर्णय दिनांक 18.01.2019।

35. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

.....

भारत के मुख्य न्यायधीश डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

.....

न्यायमूर्ति पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा

नई दिल्ली;

27 अप्रैल 2023

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"